विभागीय प्रशासनिक संरचना

1. मंत्री स्तर

आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन के बड़े एवं अति महत्वपूर्ण विभागों में से एक है । यह विभाग सन् 1962 से कार्य कर रहा है । प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के विकास के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश का विकास जनजाति वर्गो के उत्थान से आका जाता है। अतः आदिवासियों के विकास के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए मंत्री मण्डल में केबिनेट स्तर पर आदिम जाति कल्याण विभाग के लिए एक पृथक मंत्री नियुक्त किया जाता हैं जो किसी अनुसूचित जनजाति वर्ग के होते हैं । केबिनेट मंत्री की सहायता हेतु राज्य मंत्री की नियुक्ति भी की जाती है

2. मध्यप्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत् प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण तथा राज्य सरकार को इन वर्गो के हितों के लिए आवश्यक सुझाव देने हेतु मध्यप्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद गठित है । इसके अध्यक्ष मुखयमंत्री तथा उपाध्यक्ष आदिम जाति कल्याण मंत्री होते हैं । शेष सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के विधायकों एवं अन्य समाज सेवी सदस्यों का मनोनयन राज्य शासन द्वारा किया जाता है।

3. राज्य स्तर विभाग अंतर्गत मंत्रालय स्तर पर प्रमुख सचिव, सचिव, अपर सचिव, उप सचिव तथा अवर सचिव पदस्थ हे ं । विभागाध्यक्ष स्तर पर आयुक्त आदिवासी विकास कार्यरत हैं
जो आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण के अमले से संबंधित समस्त प्रशासनिक कार्यो के साथ आदिम जाति कल्याण विभाग की समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं।

4. संभाग स्तर प्रदेश में संभाग स्तर पर विद्यमान विभागीय संरचना निम्नानुसार है :-

(अ) संभागीय उपायुक्त,आदिवासी विकास कार्यालय अगस्त 2006 से 07 संभागों पर संभागीय उपायुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय का गठन किया गया हे इनमें पदस्थ संभागीय उपायुक्तों को उनके संभाग में चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का दायित्व सौंपा गया हे।

(ब) क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र जबलपुर, रीवा एवं इंदौर में अनुसंधान केन्द्र कार्यरत हैं । ये केन्द्र आदिम जाति अनुसंधान संस्थान की संभागीय इकाई के रूप में कार्य करते हैं । इनमे ंपदस्थ

अनुसंधान अधिकारी को स्वतंत्र रूप से आहरण एवं संवितरण के अधिकार दिये गये हैं ।

5. जिला स्तर (अ) मुखय कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पदेन अपर आयुक्त त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अंतर्गत आदिवासी जनसंखया बाहुल जिलों में विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु मुखय कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को आदिम जाति कल्याण का पदेन अपर आयुक्त घोषित किया गया है तथा प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार भी प्रत्यायोजित किये गये हैं ।

(ब) जिला कार्यालय विभाग अंतर्गत प्रशासकीय नियंत्रण एवं विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर आदिवासी बाहुल 18 जिलों में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के कार्यालय तथा शेष 30 जिलों में जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण के कार्यालय संचालित हैं ।

1. सहायक आयुक्त मध्यप्रदेश के 18 जिला कार्यालयों (जबलपुर, मण्डला, डिण्डौरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, रतलाम, झाबुआ, धार, खण्डवा, खरगोैन, बड़वानी, होशंगाबाद, बेतूल एवं बुरहानपुर) में सहायक आयुक्त पदस्थ हैं ।

2. जिला संयोजक प्रदेश के 30 जिला कार्यालयों (नरसिंहपुर, कटनी, रीवा, सतना, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, श्योपुरकलां, उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर, देवास, इंदोैर, नीमच, भोपाल, राजगढ़ विदिशा, रायसेन, सीहोर, हरदा एवं उमरिया) में जिला संयोजक पदस्थ है ।

6. परियोजना स्तर परियोजना प्रशासकअधिकारी मध्यप्रदेश में आदिवासी उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के बजट प्रबंधन पर्यवेक्षण अनुश्रवण तथा संबंधित विभिन्न विकास विभागों के बीच आवश्यक समन्वय स्थापित करने के लिए 26 वृहद परियोजनायें, 5 मध्यम परियोजनाऐं, 30 माड़ा पॉकेट एवं 6 लघु अंचल अस्तित्व में हैं जिनमें परियोजना प्रशासक /अधिकारी पदस्थ है ।

7.विकासखण्ड स्तर

अ. मुखय कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत)

राज्य के 89 आदिवासी विकासखण्डों की जनपद पंचायतों में मुखय कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के पद स्वीकृत हैं । ये अधिकारी जनपद पंचायतों के कार्यपालन अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करते हैं तथा इन पर विभाग का प्रशासकीय नियंत्रण है ।

ब. विकासखण्ड अधिकारी राज्य के 313 विकासखंडों में से 89 विकासखण्ड आदिवासी विकासखण्ड घोषित हैं जिनमें विभागीय विकासखण्ड अधिकारी पदस्थ हैं । इन विकासखण्डों का प्रशासनिक नियंत्रण विभागाधीन है इनके द्वारा विभाग की योजनाओं के साथ-साथ अन्य विकास विभागों की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है अब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अंतर्गत इन विकासखण्डों को जनपद पंचायतों के अधीन कर दिया गया है ।

स. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विभाग अंतर्गत 74 विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पदस्थ हैं । पंचायत राज व्यवस्था अंतर्गत ये विकासखण्ड़ क्षेत्र अंतर्गत संचालित विभागीय शालाओं के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण का कार्य जनपद पंचायतों के अधीन कर सम्पन्न करते हैं ।

8.विशेष पिछड़ी जनजाति समूह अभिकरण

भारत सरकार द्वारा मान्य तीन विशेष पिछड़ी जनजातियां बैगा, भारिया एवं सहरिया मध्यप्रदेश में निवास करती हैं इन जनजातियों के विकास हेतु योजनाऐं बनाने व क्रियान्वित करने हेतु 11 अभिकरण कार्यरत हैं। सहरिया एवं बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों का कार्य केवल एक से अधिक जिलों मे ही नहीं वरन एक से अधिक राजस्व संभाग में फेला हुआ है ।